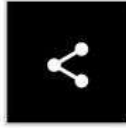




# अपंजीकृत नियोक्ताओं को निरीक्षण और पेनल्टी से छूट, श्रमिकों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा लाभ

BSN Desk August 8, 2025



## Bilkul Sateek News

गुरुग्राम, 7 अगस्त। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा संचालित स्त्री योजना की जानकारी को उद्योग जगत तक पहुँचाने के उद्देश्य से उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम द्वारा एक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उप क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी सुनील यादव ने की। उन्होंने पंचदीप प्रज्ज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया और उपस्थित सभी प्रतिभागियों का पुष्प भेंट कर स्वागत किया।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सुनील यादव ने बताया कि ईएसआईसी द्वारा आरंभ की गई यह योजना 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक अपंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना के अंतर्गत कोई निरीक्षण नहीं होगा और न ही किसी प्रकार की पेनल्टी लगेगी। नियोक्ता ईएसआईसी पोर्टल या श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से अपनी इकाइयों और कर्मचारियों का पंजीकरण कर सकते हैं, और यह पंजीकरण उस तिथि से वैध माना जाएगा जो नियोक्ता द्वारा घोषित की जाएगी।

सुनील यादव ने यह भी बताया कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित ईएसआईसी की 196वीं बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई है। यह योजना कर्मचारियों को चिकित्सा सेवाएं और नकद लाभ देने के साथ-साथ नियोक्ताओं को भी एक पारदर्शी और सरल पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करती है, जिससे वे बिना किसी बाधा के सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में शामिल हो सकें।

संगोष्ठी के अंत में एक प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित प्रतिनिधियों ने योजना से जुड़ी समस्याएं साझा कीं और उपयोगी सुझाव भी दिए।

इस संगोष्ठी में गुरुग्राम औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष जे. एन. मंगला, प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. गुप्ता, नियोक्ता संघ की ओर से संदीप सांगवान और हरीश शर्मा, गुड़गांव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से सुमित राव तथा सेफ इन फाउंडेशन की ओर से आशा और चन्द्र शर्मा, उप निदेशक सचिन सिंह, जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वीटी यादव, सहायक निदेशक कमलेन्द्र कुमार, प्रमोद कुमार सहित कार्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

